E.Mail

संख्या- 1940 /नौ-8-2024-37 ज/2017

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊःदिनांकः 13 सितम्बर, 2024

विषयः प्रदेश के नागर निकायों में स्थापित स्ट्रीट लाइट्स को कम ऊर्जा खपत वाली एल.ई.डी. लाइट्स में परिवर्तित कियेजाने के पश्चात् बिजली के बिलों में आयी कमी के आधार पर ई.ई.एस.एल. कम्पनी के अवशेष बिलों के भुगतान के संबंध में।

महोयय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/5028/361/ई.ई.एस.एल., दिनांक 30 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संबंधित निकायों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर परम्परागत लाइटों के अतिरिक्त अनुपूरक अनुबन्ध एवं निकाय द्वारा निर्गत किये गये आदेश द्वारा स्थापति नवीन लाइटों के बिलों की 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान निदेशालय स्तर से सीधे ई.ई.एस.एल. कंपनी को करने के संबंध में शासनादेश संख्या-1101/नौ-8-2019-37ज/2017, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नागर निकायों में स्थापित परम्परागत स्ट्रीट लाइट्स को कम ऊर्जा खपत वाली स्ट्रीट लाइट्स में परिवर्तित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-4345/नौ-8-2017-37ज/17, दिनांक 23.08.2017 द्वारा उक्त कार्य हेतु ई.ई.एस.एल. को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। शासन द्वारा अनुमोदित एम0ओ0यू0 के निर्धारित ड्राफ्ट पर ई.ई.एस.एल. कंपनी तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा द्विपक्षीय हस्ताक्षर किये गये। तदोपरान्त ई.ई.एस.एल. द्वारा प्रदेश के समस्त नगर निगमों (गाजियाबाद एवं शाहजहाँपुर को छोड़कर), 31 नगर पालिका परिषदों एवं 05 नगर पंचायतों से पृथक-पृथक अनुबन्ध करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप प्रदेश के कुल 51 नगर निकायों (15 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद तथा 05 नगर पंचायतों) में स्थापित स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 लाइट में परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोंपरान्त विधिवत् यह प्रमाणित होने के पश्चात कि ई०ई०एस०एल० कंपनी एल०ई०डी० लाईट लगाने के पश्चात विद्युत व्यय भार में लगभग 40 से 50 प्रतिशत की कमी आयी है, के दृष्टिगत सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या-1101/नौ-8-2019-37ज/2017, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 द्वारा लंबित बिलों के भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

4- निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा अपने पत्र दिनांक 14 जून, 2024 के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि ई.ई.एस.एल. कंपनी द्वारा शासनादेश के अनुसार कुल 6,72,058 परम्परागत स्ट्रीट लाईट के स्थान पर कम ऊर्जा खपत वाली एल0ई0डी0 लाईटें लगायी गयी हैं तथा 4,22,720 अतिरिक्त एल0ई0डी0 लाईटें ई.ई.एस.एल. कंपनी द्वारा निकायों के साथ किये गये अनुपूरक अनुबंध/ निकायों के अनुरोध पर लगायी गयी हैं, जिसके लिये शासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त की गई है। पूर्व में निर्गत आदेश केवल परम्परागत स्ट्रीट लाईट

के स्थान पर एल0ई0डी0 लाईट परिवर्तित किये जाने हेतु था। अत: निकायों के सीमा विस्तार, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध एवं उनसे किए गए अनुपूरक अनुबंध के आधार पर जो अतिरिक्त एल0ई0डी0 लाईट लगायी गयी हैं उसके सापेक्ष ई.ई.एस.एल. कंपनी द्वारा दिये गये बिलों के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्णय लिये जाने का अनुरोध निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा शासन से किया गया है।

5- निदेशक नगरीय निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-1101/नौ-8-2019-37ज/2017, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में ई.ई.एस.एल. कंपनी द्वारा निकायों के साथ किये गये अनुपूरक अनुबंध/ निकायों के अनुरोध के आधार पर लगायी गयी अतिरिक्त एल0ई0डी0 लाईटों के सापेक्ष बिलों का नियमानुसार भुगतान भी निम्नानुसार किया जाये :-

(1) ई.ई.एस.एल. कंपनी द्वारा निकायों के साथ किये गये अनुपूरक अनुबंध/ निकायों के अनुरोध के आधार पर लगायी गयी अतिरिक्त एल0ई0डी0 लाईटों के पश्चात् विद्युत बिलों में आयी कमी के आधार पर संबंधित निकायों को अनुमन्य धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत की धनराशि के बकाये का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ई.ई.एस.एल. कंपनी को निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सीधे अपने स्तर से कर दिया जाये, परन्तु यह भुगतान तभी किया जाये जब संबंधित निकाय से इसकी संस्तुति प्राप्त हो जाये कि संबंधित फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही कार्य कराया गया है।

(2) शेष 30 प्रतिशत की धनराशि अनुरक्षण कराने हेतु रोक कर उसका भुगतान फर्म को संबंधित निकाय द्वारा किया जायेगा।

6- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1940(1)/नौ-8-2024-37ज/2017-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 समस्त मा0 महापौर, नगर निगम उत्तर प्रदेश ।
2 समस्त अध्यक्ष,सम्बन्धितनगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश ।
3 समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।
4 समस्त अधिशासी अधिकारी,सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश ।
5 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(पारस नाथ)
अनु सचिव।